

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प :- अटल सेवा केन्द्र मौजा खेडाराजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018

-: आदेश :-

प्र0सं0 :- 005/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार हल्का मरमी,
भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त रु की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की
राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-जस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
मौजा मरमी तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत्
2071-74 में खाता संख्या 1 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को
निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये
जाते हैं :-

क्र.सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
<u>1</u>	<u>मरमी</u>	<u>1</u>	<u>द्वैधर-वान</u>	<u>रुखान मंदिर</u>

क्रमांक: सरिश्ता/5-11()2018

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।



401
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी,
जिला-चित्तौड़गढ़